

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2981] No. 2981] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 201 7

का.आ. 3402(अ).—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद, एतद्द्वारा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्;

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित विस्तृत विशेषता डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम) को शामिल किया जाएगा, अर्थात्

नेत्र चिकित्सा एवं सर्जरी में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीओएमएस)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
प्रसूतिशास्र और प्रसूति (डीजीओ) में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीसीएच)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीपीबी)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
त्वचा विज्ञान और रतिजरोग (वेनेरेलॉजी) में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीडीवी)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
संज्ञाहरण में डिप्लोमा (डीए)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
ओटो-रहिनो-लैरिनगोलॉजी	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
(ईएनटी) (डीओआरएल) में डिप्लोमा	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
(डीओआरटीएचओ)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

6352 GI/2017 (1)

मनोवैज्ञानिक चिकित्सा (डीपीएम) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मेडिकल रेडियोलॉजी और इलेक्ट्रोलॉजी में डिप्लोमा (डीएमआरई)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
क्षयरोग में डिप्लोमा (टीडीडी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
परिवार नियोजन में डिप्लोमा (डीएफपी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीपीएच)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (डीटीएम) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
उष्णकटिबंधीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीटीएमएच)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
डायाबैटोलोजी (डीडीआईएबी) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
जनरल मेडिसिन में डिप्लोमा (डीजीएम)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
जनरल सर्जरी में डिप्लोमा (डीजीएस)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
चिकित्सा कैंसर विज्ञान में डिप्लोमा (डीएमओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
कार्डियोलोजी में डिप्लोमा (डीसीएआरडी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिप्लोमा (डीएमए)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
गाइनोकोलॉजीकल एंडोस्कोपी में डिप्लोमा (डीजीईएन)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बांझपन और सहायता-प्राप्त प्रजनन तकनीक (डीआईएआरटी) में डिप्लोमा	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
मूत्रविज्ञान में डिप्लोमा (डीयूआरओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
इम्यूनोलॉजी में डिप्लोमा (डीआईएमएम)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
गहन चिकित्सा देखभाल में डिप्लोमा (डीआईसीयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
नेफ्रोलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईपी)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
हैइमैटो कैंसर विज्ञान में डिप्लोमा (डीएचओएन)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा विकलांग में डिप्लोमा (डीपीओआरटीएचओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा में डिप्लोमा (डीपीआईसीयू)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान में डिप्लोमा (डीपीएनईयू)	यह चिकित्सा योग्यता मान्यता-प्राप्त होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
-	

पैडिएट्रिक्स कार्डियोलोजी में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीपीसीएआरडी)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
नियोनैटॉलॉजी में डिप्लोमा (डीएनईओ)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
पैडिएट्रिक्स नेफ्रोलोजी में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीपीएनईपी)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
लर्निग डिसेबिलिटी और न्यूरो डेवलेपमेंट	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
पैडिएट्रिक्स में डिप्लोमा (डीएलडीएनपी)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
पैडिएट्रिक्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हीपैटोलॉजी और पोषण में डिप्लोमा (डीपीजीएचएन)	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
बाल चिकित्सा मूत्रविज्ञान में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीपीयूआरओ)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।
आपातकालीन चिकित्सा में	यह एक मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी, जब इसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड
डिप्लोमा (डीईएमई)	सर्जन्स, मुंबई द्वारा मार्च 2012 को या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

टिप्पणी : (i) सभी दाखिले नीट स्नातकोत्तर और केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से सरकार की नीति के अनुसार समय-समय पर किए जाने चाहिए।

- (ii) सीपीएस अर्हता को शिक्षण के उद्देश्य के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के रूप में रूप में नहीं माना जाएगा।
- (iii) इसके अलावा, सीपीएस द्वारा कोई भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इस मंत्रालय की पूर्व अनुमित से चलाया जाएगा, बशर्ते कि निर्धारित शर्तों को एमसीआई की न्यूनतम मानक आवश्यकता विनियमों के अनुसार पुरा कर लिया गया हो।

[सं. वी.11025/14/2015-एमईपी] अरुण सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2017

S.O. 3402(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule of the Act, namely;

The following Broad Specialty Diploma Courses (two years courses at the Post MBBS level) granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai, shall be inserted, namely

Diploma in Ophthalmic Medicine & Surgery (DOMS)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Gynaecology & Obstetrics (DGO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Child Health (DCH)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Pathology & Bacteriology (DPB)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Dermatology & Venereology (DDV)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Anaesthesia (DA)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology (ENT) (DORL)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.

Diploma in Orthopaedics (DORTHO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Psychological Medicine (DPM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Medical Radiology & Electrology (DMRE)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Tuberculosis Diseases (TDD)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Family Planning (DFP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Public Health (DPH)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Transfusion Medicine (DTM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Tropical Medicine & Health (DTMH)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after December 2009.
Diploma in Diabetology (DDIAB)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in General Medicine (DGM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in General Surgery (DGS)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in medical Oncology (DMO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Cardiology (DCARD)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Minimal Access Surgery (DMAS)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Gynaecological Endoscopy (DGEN)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Infertility & Assisted Reproductive Technique (DIART)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Urology (DURO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Immunology (DIMM)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Intensive Care (DICU)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Neurology (DNEU)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Nephrology (DNEP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Haemato Oncology (DHON)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Orthopaedics (DPORTHO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Intensive Care (DPICU)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Neurology (DPNEU)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in paediatric Cardiology (DPCARD)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.

Diploma in Neonatology (DNEO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Nephrology (DPNEP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Learning Disability & Neuro Developmental Paediatrics (DLDNP)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition (DPGHN)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Paediatric Urology (DPURO)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.
Diploma in Emergency Medicine (DEME)	This shall be recognised medical qualification when granted by College of Physicians and Surgeons, Mumbai on or after March 2012.

- **Note:** (i) All the admissions should be through NEET PG and centralized counselling and as per Government policy from time to time.
 - (ii) The CPS qualifications shall not be treated as a recognized medical qualification for the purpose of teaching.
 - (iii) Further, any postgraduate degree course to be run by the CPS shall be with the prior approval of this Ministry subject to fulfilment of stipulations prescribed on the lines of Minimum Standard Requirement Regulations of MCI.

[No. V.11025/14/2015-MEP] ARUN SINGHAL, Jt. Secy.